

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

सिविल रिट सं. 15074/2012

में

लेटर्स पेटेंट अपील सं. 397/2018

=====

1. बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से।
2. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड सोन भवन वीर चंद पटेल पथ पटना वर्तमान आर-ब्लॉक, पटना में।
3. मुख्य प्रशासन, बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड सोन भवन वीर चंद पटेल पथ पटना वर्तमान आर-ब्लॉक, पटना में।
4. जिला प्रबंधक सिवान, बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम।

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

सुरेन्द्र प्रसाद यादव, पिता- स्वर्गीय राज बल्लभ राँय, ग्राम-मकेर, पश्चिम टोला चाक्या, थाना-मकेर जिला-सारण, वर्तमान में सेवानिवृत्त सहायक प्रबंधक, जिला-सिवान।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

अधिनियम/धाराएँ/नियम:

- भुगतान ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 - धारा 4(5)
- बिहार सेवा संहिता
- बिहार वित्तीय नियम
- सरकारी सेवक आचरण नियम

एलपीए - रिट - याचिका में आदेश से उत्पन्न हुआ, जिसमें निगम के उन कर्मचारियों को बढ़ी हुई ग्रेच्युटी राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, जो 31.03.2010 को सेवानिवृत्त हुए थे।

माना - प्रतिवादी की सेवानिवृत्ति के बाद 1972 अधिनियम में संशोधन लागू हुआ। - निगम के नियमों में राज्य के बढ़े हुए ग्रेच्युटी नियम शामिल नहीं थे। (पैरा 3)

इसलिए, प्रतिवादी बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का हकदार नहीं है। (पैरा 12)

अदालत द्वारा एलपीए की अनुमति दी गई। (पैरा 13)

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

सिविल रिट सं. 15074/2012

में

लेटर्स पेटेंट अपील सं. 397/2018

=====

1. बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से।
2. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड सोन भवन वीर चंद पटेल पथ पटना वर्तमान आर-ब्लॉक, पटना में।
3. मुख्य प्रशासन, बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड सोन भवन वीर चंद पटेल पथ पटना वर्तमान आर-ब्लॉक, पटना में।
4. जिला प्रबंधक सिवान, बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम।

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

सुरेन्द्र प्रसाद यादव, पिता- स्वर्गीय राज बल्लभ राँय, ग्राम-मकेर, पश्चिम टोला चाक्या, थाना-मकेर जिला-सारण, वर्तमान में सेवानिवृत्त सहायक प्रबंधक, जिला-सिवान।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थित:

अपीलार्थी/ओं के लिए: श्री अंजनी कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री शैलेंद्र कुमार सिंह

उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री राजेंद्र नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री उमेश कुमार राँय, अधिवक्ता

=====

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव राँय

(प्रति: माननीय मुख्य न्यायाधीश)

तारीख: 11-10-2023

यह लेटर्स पेटेंट अपील एक रिट याचिका के आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसमें उन कर्मचारियों को जो 31.03.2010 को सेवानिवृत्त हुए 10 लाख रुपये ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। अपीलार्थी निगम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार ने बताया कि 2018 के ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972, में संशोधन किया गया है उपदान के रूप में देय राशियों की सीमा को 24.05.2010 के प्रभाव से 350000 रुपये से बढ़ा कर 10 लाख कर दिया गया है। रिट याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद यह बताया गया है कि निगम के कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमों द्वारा विनियमित नहीं होते हैं और उनकी सेवा शर्तों के साथ-साथ सेवानिवृत्ति लाभ भी काफी भिन्न होते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों का लाभ प्रत्यर्थी निगम के कर्मचारियों पर तभी लागू किया जा सकता है जब निगम सरकार की मंजूरी से इसे स्वीकार करता है। निगम द्वारा स्वीकृति के बिना और भले ही इसे स्वीकार कर लिया जाए, सरकार

से अनुमोदन के बिना, राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाले ऐसे नियम निगम के कर्मचारियों पर लागू नहीं हो सकते हैं।

2. जहां तक भेदभाव का आरोप है, यह बताया गया है कि निगम के कर्मचारियों पर बढ़ी हुई ग्रेच्युटी लागू होने के अगले दिन भुगतान किया गया था; वह भी सरकार की मंजूरी के बिना। जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम दौलत मल जैन, (1997) 1 एस. सी. सी. 35, फिल्म समारोह निदेशालय बनाम गौरव अश्विन जैन, (2007) 4 एस. सी. सी. 737 और बिहार राज्य बनाम उपेंद्र नारायण सिंह, (2009) 5 एस. सी. सी. 65 को संदर्भित करते हुए यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि न्यायालय द्वारा भेदभाव के आधार पर अवैध कार्य नहीं किया जा सकता है।

3. प्रथम प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र नारायण राज्य द्वारा उठाई गई दलीलों पर गंभीरता से प्रश्न करते हैं और विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखना चाहते हैं। यह माना जाता है कि भुगतान उपदान अधिनियम, 1972, यदि लागू किया जाता है, तो याचिकाकर्ता को उपदान की बढ़ी हुई राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं होगा जो याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद लाई गई थी। हालाँकि, यह बताया गया कि राज्य ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाले नियमों को विशेष रूप से स्वीकार किया है जो प्रस्तुत किए गए विभिन्न दस्तावेजों से स्पष्ट है। अनुलग्नक-ए बिहार सेवा संहिता और बिहार वितीय संहिता के साथ-साथ निगम के कर्मचारियों के लिए सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों को भी लागू करता है।

4. इस न्यायालय के दोहरी खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय को संदर्भित किया गया है:-
लाला नंद कुमार बनाम बिहार राज्य खाद्य, (2008) 1 पी. एल. जे. आर. 579 में इस न्यायालय के निर्णय में यह तर्क दिया गया है कि डिवीजन बेंच द्वारा उन्हीं दस्तावेजों पर

भरोसा किया गया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि निगम के कर्मचारियों के लिए बिहार सेवा संहिता को अपनाया गया था और यदि प्रस्ताव को समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तो यह अपनाने से भविष्य के परिवर्तनों में उत्पत्ति लागू होंगे। उद्धृत निर्णय में, यह निर्देश दिया गया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 करना निगम के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा। अनुलग्नक-बी, सी और डी से भी पारित आदेश को बरकरार रखने का आग्रह किया गया है।

5. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के भुगतान के अनुसार, बढ़ी हुई राशि प्रथम प्रतिवादी की सेवानिवृत्ति की तारीख से लागू नहीं होगी। हालांकि, ग्रेच्युटी अधिनियम की धारा 4 (5), एक नियोक्ता द्वारा एक कर्मचारी को लागू किए जाने वाले बेहतर लाभ को सक्षम बनाएगी और इस तरह के बेहतर लाभ की परिस्थितियों में कर्मचारी को प्रदान किया जाएगा तब कर्मचारी के पास भी इसके लिए दावा करने का दावा होगा। सवाल यह होगा कि क्या कर्मचारी को इतना बेहतर लाभ दिया गया था। यह इस संदर्भ में है कि याचिकाकर्ता द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, उनकी जांच की जानी चाहिए।

6. अनुलग्नक-ए में प्रावधान किया गया है कि जब तक सेवा और वित्तीय नियम निगम द्वारा बनाए नहीं जाते हैं, तब तक बिहार सेवा संहिता, बिहार वित्तीय नियम, सरकारी कर्मचारी आचरण नियम और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू यात्रा भत्ते और चिकित्सा भत्ते से संबंधित नियमों में बनाए गए प्रावधान निगम के कर्मचारियों के लिए अपनाए जाने चाहिए। डिवीजन बेंच का उद्धृत निर्णय सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के संबंध में था। इस प्रकार अनुलग्नक-ए में निर्दिष्ट नियम उपदान के लिए प्रावधान नहीं करते हैं, और इसलिए, राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय वही उपदान निगम के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

7. यह स्वीकार किया जाता है कि बिहार पेंशन नियम, आवेदकों पर लागू नहीं किए गए हैं और यहां तक कि प्रस्तुत किए गए अन्य दस्तावेजों के अनुसार, भुगतान की गई उपदान राशि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार है; जिसे निगम द्वारा शामिल करने और राज्य सरकार से अनुमोदन के माध्यम से निगम के कर्मचारियों पर अलग से लागू किया जाना था, जो अनुलग्नक-ए से नहीं मिल सकता है। बिहार उदारीकृत पेंशन योजना, 1950 से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए उपदान की पात्रता उत्पन्न होती है, जिसे निगम द्वारा अपनाया नहीं गया है। हम उद्धृत निर्णय को लागू नहीं पाते हैं।

8. अब हम अनुलग्नक-बी पर आते हैं, जिसका अनुवाद पटना उच्च न्यायालय के अनुवाद विभाग द्वारा प्रदान किया गया है जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

संलग्नक-बी

बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

सोन भवन, पांचवीं मंजिल, वीरचंद पटेल पथ, पटना

कार्यालय आदेश

बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की 129वीं बैठक के मद सं. 129 दि.-10/06/2008 के तहत लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान उपदान अधिनियम की धारा 4 (3) के प्रावधानों के अनुसार निगम के कर्मचारियों को 3 लाख 50 हजार रुपये की अधिकतम सीमा तक उपदान के भुगतान की मंजूरी इस शर्त के साथ दी गई है कि उपदान राशि की गणना बिहार उपदान अधिनियम, 1972 की धारा 4 और निगम द्वारा पहले जारी किए गए पत्र संख्या 4221 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

एस. डी./- (अवैध)

03.07.08

प्रबंध निदेशक

पटना,

दिनांक-03.07.08

जापन संख्या 5490

इसकी प्रति सभी प्रमुखों और उप-प्रमुखों/गोपनीय अनुभाग, निगम मुख्यालय, पटना/सभी जिला प्रबंधकों, राज्य खाद्य निगम, बिहार और झारखंड को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाती है।

एस. डी./- (अवैध)

03.07.08

प्रबंध निदेशक

9. उपरोक्त उद्धरण से जो निर्णय लिया गया है, वह रुपये की अधिकतम सीमा तक उपदान के भुगतान को मंजूरी देना है। 2018 के राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान ग्रेच्युटी अधिनियम की धारा 4 (3) के प्रावधानों के अनुसार निगम के कर्मचारियों को 3 लाख 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस शर्त के साथ कि उपदान राशि की गणना बिहार उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी (एस. आई. सी.-यह नियम है न कि अधिनियम)। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम केंद्रीय संसद का है और अधिनियम की धारा 15 के तहत राज्य ने बिहार ग्रेच्युटी भुगतान नियम, 1972 लाया है। नियमों के तहत उपदान राशि का निर्धारण केंद्रीय विधान की धारा 4 के अनुसार होता है। अर्थात् ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की अधिकतम सीमा। न तो पेंशन नियम,

उदारीकृत पेंशन योजना या ग्रेच्युटी भुगतान नियम को अपनाया गया है और न ही प्रतिवादी निगम पर लागू किया गया है।

10. हम बिहार राज्य द्वारा अनुलग्नक-सी राजपत्र अधिसूचना द्वारा अपने कर्मचारियों पर लागू उपदान में वृद्धि को भी देखते हैं। इसने रु 10 लाख की उपदान राशि 01.04.2007 से 23.09.2009 के बीच लागू होती है। अनुलग्नक-डी निगम का एक आदेश है, जिसमें 10 लाख रुपये की राशि प्रभावी ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत लागू की गई है। 23.09.2009.अनुलग्नक-डी आदेश दिनांकित 14.02.2017 है, और रिट याचिकाकर्ता ने यह दिखाने के लिए कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया है कि इसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। एकमात्र विवाद अनुलग्नक-ई पर आधारित है, जिसमें कुछ व्यक्तियों को उपदान की उपरोक्त राशि का भुगतान किया गया था। जैसा कि निगम की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने सही बताया कि ये भुगतान सरकार से किसी भी अनुमोदन के बिना अनुलग्नक-डी के अगले ही दिन किए गए थे।

11. अनुलग्नक-डी 14.02.2017 पर पारित किया गया था, और अगले ही दिन 15.02.2017 पर, कुछ व्यक्तियों को बैंक के माध्यम से भुगतान किया गया था जो एक अवैध कार्य था। उद्धृत निर्णयों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के दायरे की जांच की जो सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। यह घोषित किया गया था कि "कानून के समक्ष समानता की यह गारंटी एक सकारात्मक चिंता है और इसे किसी नागरिक या न्यायालय द्वारा नकारात्मक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। "यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में कोई अवैधता या अनियमितता की गई है, तो अन्य लोग उच्च न्यायालय अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं कर सकते हैं। ताकि वही अनियमितता या अवैधता राज्य द्वारा इस तर्क पर की जाए कि उन्हें उस लाभ से वंचित कर दिया गया है जो अनियमित या अवैध तरीके से दूसरों को दिया गया है।

12. हमें उठाए गए भेदभाव के आधार को बनाए रखने का कोई कारण नहीं मिलता है। हम पाते हैं कि प्रथम प्रतिवादी बढी हुई उपदान का हकदार नहीं है। विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। यह दोनों पक्षों का सामान्य मामला है कि अपील में बढी हुई मात्रा के एकमात्र प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। हम फैसले को 10 लाख रुपये केवल की बढी हुई ग्रेच्युटी देने की सीमा तक दरकिनार करते हैं।

13. लेटर्स पेटेंट अपील की अनुमति है।

(के. विनोद चंद्रन, सीजे)

(राजीव रॉय, जे)

आदित्य/-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।